कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 557 दिनांकः– 10.8.2020

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत ग्राम पोखराहा खुर्द में जवाहर नवोदय विद्यालय निर्माण हेतु 9.71 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन का प्रस्ताव सं0–FP/JH/Sch/27020/2017 के संबंध में।

प्रसंग :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनिनगर का पत्रांक 3121 दिनांक 17.10.2017, पत्रांक 164 दिनांक 22.01.2020 एवं पत्रांक 877 दिनांक 11.06.2020

महाशय,

प्रांसगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना FP/JH/Sch/27020/2017 मौजा पोखराहा खुर्द में जवाहर नवोदय विद्यालय भवन निर्माण हेतु कुल 9.71 हे0 जंलग–झाड़ी वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy इस कार्यालय में प्राप्त हुई थी। प्रस्ताव के प्रस्ताव की जांच के क्रम में कतिपय त्रुटियां/कमियां पाई गई थी। अतः इस कार्यालय के पत्रांक 1005 दिनांक 31.05.2017 एवं पत्रांक 78 दिनांक 05.02.2020 द्वारा निराकरण प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं प्रयोक्ता अभिकरण को निदेशित किया गया था। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनिनगर का पत्रांक 164 दिनांक 22.01.2020 एवं पत्रांक 877 दिनांक 11.06.2020 द्वारा निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

ज्ञातव्य है कि पूर्व में मौजा पोखराहा खुर्द में जवाहर नवोदय विद्यालय निर्माण हेतु भारत सरकार के पत्रांक 5-JHC 025/07-BHU दिनांक 29.07.2008 द्वारा कुल चार शर्त्तो पर 12.45 हे0 वनभूमि अपयोजन की सैधान्तिक सहमति प्रदान की गई थी, परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त्तो का अनुपालन नहीं किया गया। साथ ही क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू के कार्यालय पत्रांक 2165 दिनांक 25.08.2015 द्वारा उक्त परियोजना प्रस्ताव को यह कहते हुए स्वीकृति रद्द करने की अनुसंशा की गई थी कि जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण कहीं अन्यत्र करा लिया गया है, जिसके आधार पर वन विभागीय पत्रांक 2638 दिनांक 01.06.2016 द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय निर्माण हेतु प्रदत्त स्वीकृति को रद्द करने की अनुसंशा भारत सरकार से कर दी गई। तदोपरांत भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक 5-JHC 025/07-BHU/674 दिनाक 12.08.2016 द्वारा उक्त परियोजना हेतु प्रदत स्टेज–I की स्वीकृति रद्द कर दी गई है। ऐसी परिस्थिति में पुनः अपयोजन हेतु प्रस्ताव देने की औचित्य/कारणों को स्पष्ट करने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों/प्रयोक्ता अभिकरण को निदेशित किया गया था। जिसके निराकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण नहीं कराया गया था बल्कि अन्यत्र भूमि की खोज की जा रही थी, किन्तु अन्यत्र भूमि नहीं मिल सकी और अंततः पुनः पोखराहा खूर्द में ही भूमि चयनित की गई है। तदोपरान्त वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनिनगर के पत्रांक 164 दिनांक 22.01.2020 द्वारा निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनिनगर के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत प्रतिवेदित है :–

1. मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत है :–

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा हे0 में	जंगल–झाड़ी वनभूमि का रकबा हे0 में	कुल रकबा हे0 में	वनस्पति घनत्व
1	मेदिनीनगर	शून्य	9.71	9.71	0.0

2. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबा निम्नवत अनु0–XIV

क्र0 सं0	मौजा का नाम	थाना न0	जिला	खाता न0	प्लॉट न0	रकवा (एकड़ में)	रकवा (हे0 में)	जमीन का किस्म
1	पोखराहा खुर्द	205	पलामू	85	1383 (क)	12	9.71	जंगल–झाड़ी
					1383 (ख)	12		

3. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र form A Part में आवेदन Online दर्ज है। अनु0–I
4. प्रस्ताव के साथ पार्ट–II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट–III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, तथा वन संरक्षक मेदिनीनगर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भी संलग्न है। अनु0–II & III & IV
5. पार्ट–IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।
6. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है। अनु0–V
7. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर जवाहर नवोदय विद्यालय पोखराहा खुर्द का लोकेशन दिखाते हुए संलग्न है। अनु0–VI
8. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का KML File, GPS Map CD के साथ संलग्न है। अनु0–VII
9. वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर के पार्ट–II में दर्ज प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या **शून्य** है।
10. इस परियोजना में पूर्ण जंगल–झाड़ भूमि उपयोग हेतु उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 1654 दिनांक 23.09.2016 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है। अनु0–VIII
11. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् उपायुक्त, पलामू का पत्रांक 433,432 दिनांक 10.05.2017 द्वारा प्रमाण–पत्र प्राप्त है। साथ ही F.R.A से संबंधित ग्रामसभा/आमसभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है। अनु0–IX
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV& C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है। अनु0–X
13. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल 9.71 हे0 दो गुणे 19.42 हे0 के विरूद्ध 20 हे0 अवकृष्ट वन भूमि का चयन किया गया है, जो निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना/थाना नं0	प्लॉट सं0	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का रकबा
1	मेदनीनगर वन प्रमंडल	आरेदाना	पाटन/295	792	3.52
				793	16.48
			कुल :–		20.00 हे0

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, वन प्रमंडल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है। अनु0–XI

14. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक–सह– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, पलामू द्वारा वन्यप्राणी से संबंधित मंतव्य प्रस्ताव के साथ संलग्न है। अनु0–XII
15. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
16. प्रस्ताव के साथ Lay out plan संलग्न है। अनु0–XIII

17. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।

18. वन प्रमंडल पदाधिकारी मेदिनीनगर ने अपने पार्ट–II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में अंकित किया है कि इस परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी प्रकार का violation नहीं किया गया है।

19. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त Time Line इस पत्र के साथ संलग्न है।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 9.71 हे0 (जंगल–झाड़ी) वनभूमि के अपयोजन हेतु स्टेज–I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

मूल प्रस्ताव 3 प्रतियों में।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K.A.
7.8.20

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

JWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, POKHARHA KHURD 9.71 ha

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 9.71 ha of Forest land.

Date :-

Place :- Ranchi.

Signature

(A.K. Rastogi)
Nodal Officer
Name & Designation.

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)